न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौकरिया, RAS

अपील संख्या 160/2022

1 मालीराम पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुमन पत्नी जिलेसिंह जाति जाट।
2 पुरूषोतम पुत्र रामकुमार।
3 पूर्णमल पुत्र रामकुमार।
4 किरोड़ीमल पुत्र सुखदेवाराम।
5 पूर्णमल पुत्र सुखदेवाराम।
6 मुन्नीलाल पुत्र सुखदेवाराम।
7 गोपीचन्द पुत्र सुखदेवाराम।
8 श्यामसुन्दर पुत्र सुखदेवाराम।
9 गीता देवी पत्नी सुखदेवाराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
10 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना उनवानी मुकदमा सुमन बनाम पुरूषोतम आदि मुकदमा नम्बर 474/2021 अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 10.10.2022

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.10.23.

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 474/2021 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने भूमि खसरा नम्बर 346 वाके ग्राम माकड़ो की भूमि में जाने के लिये खसरा नम्बर 348 व 349 सीमा में दोनो तरफ 8 मीटर रास्ते की मांग की है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से धारा 251ए का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदक ने आवेदन के साथ गलत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है आवेदक को दिये गये रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नही है। आवेदक ने भूमि क्रय की है। मुल खातेदार का रास्ता पहले से उतर में स्थित अन्य खेतों मे से रहा है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर धारा 251ए के अन्तर्गत आवेदन पोषणीय नही था। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व न तो अपीलांट को सुचित किया गया है, न ही अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई एंव न ही मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अपील अधिकारी

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचाराधीन निर्णय में दिया गया रास्ता किसी भी सड़क मार्ग से नही जोड़ा गया है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें। अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2017 पेज 1, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 1286, आर.आर.टी. 2023(1) पेज 490 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होने का अंकन नही है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि दिया गया रास्ता लघुतम नही हो। धारा 251ए में आई.एल.आर. को मौका रिपोर्ट के लिये सक्षम अधिकारी माना गया है। इस मौका रिपोर्ट पर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये रास्ते में बिन्दु संख्या बी के आगे चारागाह भूमि है। जो कि राजकीय भूमि है, जहां से सभी के आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध है। इसलिये मुख्य सड़क तक रास्ता दिये जाने की बाध्यता नही है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होने का अंकन नही है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि दिया गया रास्ता लघुतम नही हो। धारा 251ए में आई.एल.आर. को मौका रिपोर्ट के लिये सक्षम अधिकारी माना गया है। इस मौका रिपोर्ट पर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये रास्ते में बिन्दु संख्या बी के आगे चारागाह भूमि है। इसलिये मुख्य सड़क तक रास्ता दिये जाने की बाध्यता नही है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
... अपील अधिकारी

प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। विचाराधीन निर्णय की पालना में राशि जमा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा चुका है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर